न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

अपील सं0 05/25 दायरा दिनांक 12.08.2025

1.रमेश पुत्र मोतीलाल उम्र 68 वर्ष जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

2.मुरारी पुत्र मोतीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0) फौत

2/1.मनोज पुत्र मुरारी जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

2/2.सुनील पुत्र मुरारी जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

2/3.रामप्यारी पत्नि मुरारी जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

3.रामप्रसाद पुत्र मोतीलाल उम्र 62 वर्ष जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

4.गुलाब पुत्री मोतीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0) फौत

4/1.तिलक पुत्र गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक हाल मझारी तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0) फौत

4/2.देवेन्द्र उर्फ गुडडु पुत्र गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक हाल मझारी तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

5.कुगर बाई पुत्री मोतीलाल पत्नि जीवनलाल उम्र 70 वर्ष जाति किराड निवासी सेमलीफाटक हाल उनी तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

6.बादामी पुत्री मोतीलाल उम्र 65 वर्ष जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

7.प्रेम पुत्री मोतीलाल उम्र 60 वर्ष जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

8.नाथुलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

9.हरिचरण पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

10.बाबूलाल पुत्र जीवनलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

11.गुलाब पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0) फौत

11/1.राजमल पुत्र गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

11/2.दिनेश पुत्र गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

11/3.खैरूलाल पुत्र गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:57 IST
Reason: Self attested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

11/4.थानसिंह पुत्र गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)
11/5.कमलेश पुत्री गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)
11/6.रूकमणी पुत्री गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)
11/7.सुनीता पुत्री गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)
11/8.सीमा पुत्री गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)
11/9.पांची बाई पत्नि गुलाब जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0) अपीलान्ट

बनाम

1.सरपंच ग्राम पंचायत खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

रेस्पो0

अपील विरूद्व नामान्तरकरण नम्बर 682 दिनांक 20.02.2001 ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

निर्णय दिनांक 05.12.2025

ब हाजिरी
अपीलान्ट की ओर से – श्री धीरेन्द्र माली एडवोकेट
रेस्पो0 की ओर से – एकपक्षीय

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद के खाता संख्या नई 121 पुरानी 130 में आराजी ख0नं0 78 रकबा 3.11 बीघा, 90 रकबा 1.06 बीघा, 92 रकबा 3.11 बीघा, 97 रकबा 2.18 बीघा, 165 रकबा 2.18 बीघा, 192 रकबा 0.05 बीघा, 193 रकबा 1.08 बीघा, 199 रकबा 0.01 बीघा, 217/783 रकबा 4.04 बीघा, 251 रकबा 0.10 बीघा, 303 रकबा 2.19 बीघा, 304 रकबा 5.17 बीघा, 327/806 रकबा 6.14 बीघा, 361/836 रकबा 3.16 बीघा, 485 रकबा 12.00 बीघा, 448 रकबा 1.06 बीघा, 494 रकबा 4.04 बीघा, 496 रकबा 6.00 बीघा, 547 रकबा 1.10 बीघा, 677 रकबा 1.11 बीघा किता 20 कुल 66.07 बीघा स्थित है। उक्त आराजी अपीलान्ट के पितामह मोतीलाल पुत्र गणेशा सा. देह के नाम खाते दर्ज रही है। अपीलान्ट कम 4/2 गुलाब पुत्री मोतीलाल के वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं, जिनके नाम प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण के जरिये गुलाब पुत्री मोतीलाल की विरासत सही दर्ज की गई है। अपीलान्ट कम 4/2 का घरेलू बोलता गुडडू नाम है तथा रिकार्ड नाम देवेन्द्र है, जो अपीलान्ट के आधारकार्ड जनाधारकार्ड बैंक डायरी राशनकार्ड में दर्ज है। अपीलान्ट कम 4/2 का नाम देवेन्द्र उर्फ गुडडू दर्ज किया जाना चाहिये था, अपीलान्ट कम 5 कूगरबाई को जीवित होते हुये हटा दिया है, इस कारण प्रश्नगत फोती नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत नामान्तरकरण की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है, पूछताछ की है। दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:16:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

17.06.2025 को के.सी.सी. हेतु नकल लेने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ, दिनांक 17.06.2025 को हल्का पटवारी ने अधूरी नकल दी और दिनांक 15.07.2025 को स्पष्ट नकल प्राप्त कर अपील पेश है। अतः अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण नम्बर 682 दिनांक 20.02.2001 ग्राम सेमलीफाटक को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट कम 4/2 का नाम गुडडू के स्थान पर देवेन्द्र तथा अपीलान्ट कम 5 का नाम दर्ज कर पुनः नामान्तरकरण के आदेश दिये जावें।

2. अपील दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 के बाद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट ने उपरोक्त वर्णित ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद के खाता संख्या नई 121 पुरानी 130 में दर्ज आराजीयात कुल किता 20 कुल 66.07 बीघा को मोतीलाल पुत्र गणेशा के खाते की होना बतलाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नम्बर 682 ग्राम सेमलीफाटक को इस आधार पर निरस्त कराने की इस्तदुआ की है कि इस नामान्तरकरण में अपीलान्ट कम 4/2 का नाम देवेन्द्र के स्थान पर गुडडू गलत दर्ज कर दिया और अपीलान्ट कम 5 का नाम जीवित होते हुये हटा दिया।

4. अपीलान्ट के कथन के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में ऐसा कोई रिकार्ड अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है, जिससे उक्त आराजी मोतीलाल पुत्र गणेशा के खाते की होना प्रमाणित होता हो। इसके अलावा प्रश्नगत नामान्तरकरण के अमल बाली जमाबंदी भी प्रस्तुत नहीं की गई है। गुलाब कंवर के फौती नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 4/2 का नाम गुड्डू अंकित है। परन्तु अपीलांट क्रम 4/2 देवेन्द्र का नाम ही गुड्डू हो इस बाबत् अपीलान्ट की ओर से पत्रावली में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है और न ही गुलाब कंवर से देवेन्द्र का कोई संबंध हो, ऐसा साक्ष्य पेश किया गया है। अतः न्यायालय के पास यह मानने का कोई आधार नहीं है कि देवेन्द्र उर्फ गुड्डू एक ही व्यक्ति के दो नाम हो। प्रश्नगत नामान्तरकरण से कहीं भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि अपीलान्ट कम 5 कूंगरबाई का इससे कोई सम्बन्ध रहा हो। इस प्रकार अपीलान्ट अपनी अपील को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने में विफल रहे हैं।

5. अतः अपील अपीलान्ट साक्ष्य द्वारा अप्रमाणित तथा सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.10.2025 को रूबरू उभयपक्ष अधिवक्ता खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner